



एफआर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ

रिट - सी संख्या - 12085 वर्ष 2025

पीड़िता 'X' प्राथमिकी संख्या 048 वर्ष 2025, थाना कटरा बाजार, जिला गोंडा, अपनी निकटतम मित्र अपनी माता के माध्यम से।
.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ एवं 2 अन्य के माध्यम से

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अंजुम आरा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ

माननीय न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला

(खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय)

1. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर एक रिट याचिका है, जिसमें याचिकाकर्ता इस बात से व्यथित है कि प्रतिवादी प्राधिकरणों द्वारा 'उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियम, 2015' (जिसे आगे 'योजना' कहा गया है) के अंतर्गत याचिकाकर्ता को मुआवजा प्रदान नहीं किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि पीड़िता के साथ दिनांक 7 मार्च 2025 को यौन उत्पीड़न की घटना हुई थी तथा बाद में दिनांक 25 जून 2025 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया। याचिकाकर्ता योजना की अनुसूची के अनुक्रमांक 6 पर भरोसा करता है, जिसके अनुसार धारा 4, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) के अंतर्गत आने वाले पीड़ितों को कुल ₹3 लाख की क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है; जिसमें प्रथम ₹1 लाख एफ.आई.आर. दर्ज होने के 15 दिनों के भीतर तथा शेष ₹2 लाख आरोप-पत्र दाखिल होने के एक माह के भीतर दिए जाने का प्रावधान है।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आज तक पीड़िता को एक भी पैसा प्रदान नहीं किया गया है, जबकि आरोप-पत्र में स्पष्ट रूप से पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय प्रवेशन लैंगिक हमला का उल्लेख है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश चंद्र तिवारी ने कड़ा विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का दावा जिला स्तरीय संचालन समिति, उ.प्र. रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, जनपद गोंडा द्वारा विचाराधीन रखा गया है, जिसका कारण 24.12.2025 को आयोजित बैठक के पैरा 6 में दिया गया है। संबंधित अंश निम्न प्रकार है:

"6- निम्न प्रकरण में पीड़ित द्वारा मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में उ०प्र० रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी है। जिला संचालन समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रकरण में घटना एवं मेडिकोलीगल परीक्षण के मध्य 01 दिवस का अंतराल होने बावजूद भी मेडिकोलीगल रिपोर्ट व पैथालॉजी रिपोर्ट के आधार पर नोडल चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये अभिमत में Penetrating Sexual Assault का साक्ष्य न पाये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसके आधार पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण को इस प्रतिबंध के साथ निरस्त करते हुए निस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया कि यदि भविष्य में उनमें मा० न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि का निर्णय दिया जाता है, जिसके आधार पर पीड़ित द्वारा उसमें आर्थिक सहायता का दावा किया जाता है, तो उक्त प्रकरण को पुर्नजीवित करते हुए आर्थिक सहायता के लिए विचार किया जायेगा।"

क	आई. डी.	नाम	मु० अ० सं०	धारा	थाना	एफ.आई.आर. तिथि
1	5300600542	कुलसुम	48/25	सेक्शन पोस्को 4	कटरा बाजार	07-मार्च-25

जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिए गए की उक्त प्रकरणों को निरस्त करते हुए निस्तारित कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि वर्तमान मामले में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है और आरोप-पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। हालांकि, उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि दिनांक 8 मार्च 2025 की चोट रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रारंभिक आंतरिक परीक्षण तथा पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की प्रवेशन लैंगिक हमला (प्रवेशी चोट) का कोई प्रमाण नहीं पाया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वर्तमान योजना के अंतर्गत मुआवजा देने की पूर्व-शर्त यह है कि चोट रिपोर्ट में ऐसी चोट का होना आवश्यक है, जो वर्तमान मामले में अनुपस्थित है। अतः जिला स्तरीय संचालन समिति ने सही निष्कर्ष निकाला है कि चूँकि चोट रिपोर्ट में प्रवेशन लैंगिक हमला (प्रवेशी चोट) नहीं पाई गई है, इसलिए यह योजना वर्तमान मामले में लागू नहीं होती।

7. प्रारंभ में ही, हम पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 और 4 का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जो 'प्रवेशी यौन उत्पीड़न/प्रवेशन लैंगिक हमला से संबंधित हैं। पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 और 4 निम्नानुसार हैं:—

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



“3. प्रवेशी यौन उत्पीड़न/प्रवेशन लैंगिक हमला —कोई व्यक्ति तब प्रवेशी यौन उत्पीड़न करता है जब—

(a) वह किसी बच्चे के यौनांग, मुख, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी सीमा तक अपना लिंग प्रवेश कराता है या बच्चे को ऐसा करने के लिए बाध्य करता है; या

(b) वह लिंग के अतिरिक्त कोई वस्तु या शरीर का भाग बच्चे के यौनांग, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी सीमा तक प्रवेश कराता है या बच्चे को ऐसा करने के लिए बाध्य करता है; या

(c) वह बच्चे के शरीर के किसी भाग को इस प्रकार नियंत्रित करता है कि उससे बच्चे के यौनांग, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश हो जाए; या

(d) वह बच्चे के मुख को उसके यौनांग, गुदा या मूत्रमार्ग पर लगाता है या बच्चे को ऐसा करने के लिए बाध्य करता है।

4. प्रवेशी यौन उत्पीड़न के लिए दंड — (1) जो कोई भी प्रवेशी यौन उत्पीड़न करता है, उसे कम से कम दस वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने का भी उत्तरदायी होगा।

(2) यदि अपराध सोलह वर्ष से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध किया गया है, तो दंड न्यूनतम बीस वर्ष का कारावास होगा, जो आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन तक) तक बढ़ाया जा सकता है, तथा जुर्माना भी लगाया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अंतर्गत लगाया गया जुर्माना न्यायसंगत एवं उचित होगा तथा पीड़िता को चिकित्सा व्यय एवं पुनर्वास हेतु दिया जाएगा।”

8. आगे, हम उस अनुसूची/अनुलग्नक के अंश को भी रिकॉर्ड पर लेना आवश्यक समझते हैं, जो पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान करता है:—

क्र सं	आईपीसी विशेष अधिनियम की धारा	दंड प्रदान किया गया	किसे मुआवजा देय	मुआवजा राशि	भुगतान का चरण	भुगतान के लिए पूर्व-आवश्यकताएं
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

6.	धारा 4, पॉक्सो प्रवेशी यौन उत्पीड़न	कम से कम 7 वर्ष	पीड़ित	3,00,000 रुपये/-	1. 1,00,000/- रुपये का भुगतान 15 दिनों के भीतर पहली किस्त के रूप में किया जाना है। 2. शेष राशि 2,00,000/- रुपये एक महीने के भीतर चार्जशीट के अनुसार किया जाना है।	एफआईआर चोट रिपोर्ट जिसमें दर्शाया गया है प्रवेशी यौन उत्पीड़न और आरोप पत्र
----	---	--------------------	--------	---------------------	---	---

9. पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 एवं धारा 4 के सरल अवलोकन से यह स्पष्ट है कि धारा 3 (a), (b), (c) और (d) में वर्णित कृत्य स्वयं ही 'प्रवेशी यौन उत्पीड़न' की श्रेणी में आते हैं। यह भी स्पष्ट है कि प्रवेशी यौन उत्पीड़न के सिद्ध होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी कोई चोट अवश्य पाई जाए जो उस अपराध को निर्णायक रूप से सिद्ध करे।

10. इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत वर्णित किसी भी कृत्य से प्रवेशी यौन उत्पीड़न सिद्ध हो जाता है और धारा 4 के अंतर्गत दंड के लिए किसी अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।

11. सर्वोच्च न्यायालय ने दलीप कुमार @ डल्ली बनाम उत्तराखंड राज्य (आपराधिक अपील संख्या 1005 वर्ष 2013), दिनांक 16 जनवरी 2025 में यह कहा है कि प्रवेशी यौन उत्पीड़न सदैव शारीरिक चोटों के रूप में प्रकट हो, यह आवश्यक नहीं है। प्रासंगिक अंश निम्नलिखित है:—

“8. हमें यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यौन उत्पीड़न को सिद्ध करने के लिए शारीरिक चोटें आवश्यक नहीं हैं, और न ही यह आवश्यक है कि पीड़िता जोर-जोर से प्रतिक्रिया दे। सर्वोच्च न्यायालय की 'जेंडर स्टेरोटीपीस हैंडबुक (2023)' में भी कहा गया है कि विभिन्न व्यक्ति आघातजनक घटनाओं पर भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया देते हैं। हर पीड़िता की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है और इसका कोई एक 'सही' तरीका नहीं होता।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. यह एक सामान्य भ्रांति है कि यौन उत्पीड़न में हमेशा चोटें होती हैं। पीड़िताएँ आघात के प्रति भय, सदमा, सामाजिक कलंक या असहायता के कारण भिन्न प्रतिक्रिया देती हैं। अतः एक समान प्रतिक्रिया की अपेक्षा करना न तो यथार्थ है और न ही न्यायसंगत।”

(ज़ोर दिया गया)

12. सर्वोच्च न्यायालय ने लोक मल @ लोकू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या 325 वर्ष 2011), दिनांक 7 मार्च 2025 में पुनः यह दोहराया कि प्रवेशी यौन उत्पीड़न में शारीरिक चोटों का होना अनिवार्य नहीं है और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। प्रासंगिक अंश निम्नलिखित हैं:—

“11. मात्र इस आधार पर कि चिकित्सीय साक्ष्य में चोट के कोई बड़े निशान नहीं हैं, पीड़िता के अन्यथा विश्वसनीय साक्ष्य को खारिज करने का कारण नहीं हो सकता। यह आवश्यक नहीं है कि बलात्कार के आरोप वाले प्रत्येक मामले में पीड़िता के निजी अंगों पर चोट लगी हो। और यह किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हम इस बात को दोहराते हैं कि पीड़िता के निजी अंगों पर चोटों की अनुपस्थिति हमेशा अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होती है। पीड़िता के बयान के अनुसार, आरोपी ने उस पर काबू पा लिया और उसके विरोध के बावजूद उसे बिस्तर पर धकेल दिया और कपड़े के एक टुकड़े से उसका मुँह बंद कर दिया। अतः, इसी पहलू पर विचार करते हुए, यह संभव है कि चोट के कोई बड़े निशान न रहे हों। अपीलकर्ता ने झूठे फँसाने के बचाव का प्रयास किया, हालांकि, वह किसी ठोस साक्ष्य द्वारा अपने बचाव का समर्थन करने में असमर्थ रहा। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि शिकायत दर्ज करने और प्राथमिकी पंजीकृत करने में अत्यधिक देरी हुई है। हालांकि, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए, हमारी यह राय है कि शिकायत दर्ज करने और प्राथमिकी पंजीकृत करने में हुई उक्त देरी को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है और यह अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है।”

(ज़ोर दिया गया)

13. उपरोक्त के आलोक में, हम यह मत रखते हैं कि योजना के अंतर्गत निर्धारित पूर्व-शर्तें यह अनिवार्य नहीं करती कि चोट रिपोर्ट में प्रवेशी यौन उत्पीड़न की पुष्टि करने वाली चोट का होना आवश्यक हो। हमारा यह भी विचार है कि योजना के तहत लाभ प्रदान करने हेतु एफ.आई.आर., चोट रिपोर्ट और आरोप-पत्र का होना पर्याप्त है।

14. जब तक एफ.आई.आर. और आरोप-पत्र में पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अपराध दर्शाया गया है, तब तक संचालन समिति को आगे कोई तथ्यात्मक जाँच कर न्यायिक परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है और वह केवल इस आधार पर कि चोट रिपोर्ट में चोट नहीं है, मुआवजा अस्वीकार नहीं कर सकती।

15. यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह योजना एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य पीड़ितों के आघात और पीड़ा को कम करना है, अतः इसकी व्याख्या उदार रूप से की जानी चाहिए।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



16. इस योजना के अंतर्गत मुआवजा केवल इस कारण नहीं दिया जाता कि पीड़िता को शारीरिक चोट हुई है, बल्कि इस कारण दिया जाता है कि उसने प्रवेशी यौन उत्पीड़न का सामना किया है। अतः जब तक अपराध पोस्को अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत आता है, तब तक चोट का अभाव मुआवजा देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।

17. अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संचालन समिति का निर्णय विधिक रूप से असंगत और योजना के विपरीत है।

18. उपरोक्त के आलोक में, चूँकि वर्तमान मामले में आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, हम निर्देश देते हैं कि पीड़िता को ₹3 लाख की क्षतिपूर्ति 10 दिनों के भीतर तुरंत प्रदान की जाए।

19. उपरोक्त निर्देशों के साथ यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ) (माननीय न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला)

14 जनवरी, 2026

आशुतोष

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"